

(8)

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

कमांक :- प.10(16)आयु/2015

5 FEB 2016
जयपुर, दिनांक :-

-- आदेश :-

वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.1(6)वित्त/नियम/1999 दिनांक 28.11.1998 के अनुदेशों के तहत आयुर्वेद/होम्योपैथिक/कॉलेज विंग के अधिकारियों/चिकित्साधिकारियों की 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को मध्याह्न परघात सेवा निवृत्त किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम चिकित्साधिकारी	पिता/पति का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म दिनांक	सेवा निवृत्ति दिनांक
1	श्री ब्रजलाल शर्मा	श्री ठाकुर दत्त शर्मा	आयु. चिकि.	रायतसर हाल कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	06-02-1956	29-02-2016
2	श्री यतीश कुमार शर्मा	श्री टेकचन्द्र	आयु. चिकि.	अरनेटा हाल जिला आयुर्वेद अधिकारी बूंदी	बूंदी	01-10-1956	30-09-2016

नोट :-

1. विभागीय जांच/प्रारम्भिक जांच/शिकायत/एफ आई आर एवं जन्म तिथियों की पुष्टि सेवाभिलेख के आधार पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष अपने स्तर से कर लेवे।
2. प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित कम संख्या 1 से 2 पर अंकित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों कार्मिक विभाग की सूचना के अनुसार आज तक
 - राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील)नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
 - राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील)नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
 - कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से

(सेवा राम स्वामी)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान।
4. निजी सचिव महालेखाकार, जयपुर।
5. निदेशक पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक आयुर्वेद, विभाग राजस्थान, अजमेर।
7. सम्बन्धित अधिकारीगण मार्फत सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
8. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. मनोहर पारीक)
विशेषाधिकारी
(ओम प्रकाश वर्मा)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

कमांक प.1/प्रति-7/से.नि.2016/2015/3640-53

दिनांक: 11/2/16

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर
2. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान-जयपुर
4. उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग बीकानेर/कोटा।
5. जिला आयुर्वेद अधिकारी हनुमानगढ़/बूंदी।
6. प्रभारी प्रति-1(चिकि0)/गोपनीय/जांच/पेंशन शाखा आयुर्वेद निदेशालय अजमेर।
7. सहायक प्रोग्रामर आयुर्वेद निदेशालय अजमेर को दी जाकर लेख है कि उक्त सेवानिवृत्ति आदेश को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित जिला आयुर्वेद अधिकारी को ई-मेल करावे।
8. संबंधित चिकित्सक गण द्वारा संबंधित कार्यालयाध्यक्ष।

(विनीता श्रीवास्तव)
निदेशक